

**ग्राम पंचायत महल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत महल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति ममता कुमारी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति नीता देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति अंकिता कुमारी	01.04.14 से 04.09.16
2	श्री संदीप कुमार	05.09.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत महल, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना।	-
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.30
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	16.83
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.08
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	1.78
6	9	निर्माण सामग्री के क्रय में अनियमित भुगतान	0.02
7	10	निर्माण सामग्री के क्रय में वैट के रूप में अनियमित भुगतान	0.02

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत महल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.10.17 से 16.10.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	07/2014	06/2014
2015-16	07/2015	08/2015
2016-17	05/2016	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत महल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 523 (a) दिनांक 16.10.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 930163 (KCCB) दिनांक 27.10.17 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत महल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्वः स्रोत :-** ग्राम पंचायत महल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	56315	73551	129866	19745	110121
2015-16	110121	115935	226056	26328	199728
2016-17	199728	101000	300728	80627	220101

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत महल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	418685	1475316	1894001	1380910	513091

2015-16	513091	1714637	2227728	1392246	835482
2016-17	835482	4287570	5123052	3440427	1682625

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹220101

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1682625

स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1902726

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1905620

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹1506

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -61171	218595
13th & 14th FC, PNB -503068	1113440
RAY, KCCB-78422	164
TSC, KCCB -78444	289564
IAY, KCCB- 78411	2665
3 rd SFC, KCCB-61080	281192
MNREGA, KCCB -57381	0
कुल राशि	₹1905620

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit
Balance a per Cash Book as on 31.03.17	1902726	-
Cheque issued but not cleared up to 31.03.17	4400	-
Ch. No 755282 Dated 03.03.17, ` 800/-(13 TH FC)		
Ch. No 876972 Dated 15.10.16, ` 1800/-(3 rd SFC)		
Ch. No 876974 Dated 15.10.16, ` 1800/-(3 rd SFC)		
Cash in Hand (Own Source)	-	1506
Balance as per Pass Book	-	1905620
Total	₹1907126	₹1907126

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत महल की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़

बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि उक्त बैंक समाधान विवरणी में वर्णित चैक अंकेक्षण के दौरान तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः इन चैकों के भुगतान से संबन्धित वास्तविक स्थिति का बैंक से पता करने के पश्चात इन चैकों की राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष में करना सुनिश्चित करें।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही, खाता – क (स्व स्त्रियों से आय) में दिनांक 31.03.17 को ₹1506 हस्तगत रूप में रखी गई थी जो कि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) (₹1000) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रियों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि शादी पंजीकरण फीस एवं गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹29640 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹29640 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर:

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	24420	24420	0	24420
2015-16	24420	24510	48930	48930	0
2016-17	0	28140	28140	0	28140

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1500 की कम वसूली :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹1500 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि
32	श्री राजेश कुमार	15.11.16	200.00
33	श्री कुलदीप चन्द	19.11.16	200.00
34	श्री देश राज राणा	26.11.16	200.00

35	श्री सुख देव शर्मा	26.11.16	200.00
36	श्री बरयाम सिंह	29.11.16	200.00
37	श्री राजेश कुमार	02.12.16	200.00
38	श्री सुभाष चन्द	13.12.16	200-100= 100.00
50	श्री ज्ञान चन्द	20.03.17	200.00
कम वसूली गई राशि			₹1500.00

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 523 दिनांक 16.10.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07 दिनांक 24.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹1500 की वसूली रसीद संख्या 193335 दिनांक 24.10.17 द्वारा करके निधि खाता संख्या KCCB-61171 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

6 अनुदान ₹16.83 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1682625 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 1.08 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹108225 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹1.78 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में भण्डार रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिससे क्रय सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹177925 की क्रय की गई सामग्री का

इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 निर्माण सामग्री के क्रय में ₹0.02 लाख का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 29 दिनांक 04.06.14 (सामान्य रोकड़ बही) की जांच में पाया कि मैसर्स योगेश चन्द से निर्माण कार्य “ नि. रास्ता धीमान वस्ती गाँव महल, वार्ड-7” के लिए बिल संख्या - दिनांक - द्वारा 2 ट्राली बजरी का क्रय ₹2000 प्रति ट्राली की दर से ` 4000/- में किया गया था, जबकि उक्त निर्माण कार्य हेतु बजरी की दरें ₹1000 प्रति ट्राली निर्धारित की गई थी। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 523 दिनांक 16.10.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07 दिनांक 24.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वाउचर में अधिक भुगतान ₹2000 की वसूली रसीद संख्या 193333 दिनांक 24.10.17 द्वारा करके निधि खाता संख्या KCCB-61171 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

10 निर्माण सामग्री के क्रय में वैट के रूप में ₹0.02 लाख का अनियमित भुगतान :-

जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निर्माण सामग्री की आपूर्ति बिलों के भुगतान के दौरान मैसर्स जगन नाथ को 5% की दर से वैट का भी भुगतान किया गया था जबकि मैसर्स जगन नाथ ने अपनी निविदा में वैट अलग से लेने हेतु कोई शर्त नहीं लगाई थी। अतः निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत के विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु क्रय सामग्री में वैट के रूप में ₹2487 का अनियमित भुगतान किया गया था :-

क्र०	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
	General Cash Book			
1	85 दिनांक 23.02.15	Bill No. 344 Dated 20.01.15, M/s Jagan Nath	Stone 170 CFT @ ` 26.47 /- P.CFT = 4500/- VAT @ 5 % = 225/- Total = 4725/-	225/-
2	86 दिनांक 23.02.15	Bill No. 343 Dated 25.01.15, M/s Jagan Nath	Stone 170 CFT @ ` 26.47 /- P.CFT = 4500/- VAT @ 5 % = 225/- Total = 4725/-	225/-
	13th FC			
3	11 दिनांक 13.07.15	Bill No. 369 Dated 10.04.15, M/s Jagan Nath	निर्माण सामग्री = 9500/- VAT @ 5 % = 475/- Total = 9975/-	475/-
4	12 दिनांक 13.07.15	Bill No. 371 Dated 12.04.15, M/s Jagan Nath	निर्माण सामग्री = 5250/- VAT @ 5 % = 262/- Total = 5512/-	262/-

	Manrega				
5	58 दिनांक 22.03.15	Bill No. 346 Dated 23.02.15, M/s Jagan Nath	Stone 170 CFT @ ` 32.35 /- P.CFT = 5500/- VAT @ 5 % = 275/- Total = 5775/-	275/-	
6	59 दिनांक 22.03.15	Bill No. 347 Dated 23.02.15, M/s Jagan Nath	Stone 170 CFT @ ` 29.41 /- P.CFT = 5000/- VAT @ 5 % = 250/- Total = 5250/-	250/-	
7	38 दिनांक 15.09.15	Bill No. 378 Dated 04.07.15, M/s Jagan Nath	Aggregate 340 CFT @ ` 29.41/- P.CFT = 10000/- VAT @ 5 % = 500/- Total = 10500/-	500/-	
8	39 दिनांक 15.09.15	Bill No. 379 Dated 05.04.15, M/s Jagan Nath	Sand 170 CFT @ ` 32.35 /- P.CFT = 5500/- VAT @ 5 % = 275/- Total = 5775/-	275/-	
कुल अधिक भुगतान राशि					₹2487/-

उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 523 दिनांक 16.10.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07 दिनांक 24.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वाउचर में अधिक भुगतान ₹2487 की वसूली रसीद संख्या 193334 दिनांक 24.10.17 द्वारा करके निधि खाता संख्या KCCB-61171 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

11 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 39/2017 खण्ड-1-2204-2207 दिनांक 28.03.20218
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0
- पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत महल, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881